अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2023/81

श्री राकेश अरोड़ा

श्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

अशोक पाल सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत, कुम्हारिया वगैरह (81/2023)

14.3.23 पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अपीलांट अशोक पाल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी की आराजियात बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त आराजीयात बाबत् स्वयं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी की आराजीयात में फसल उत्पादन रखें जाने हेतु निर्माण कार्य पूर्व से ही किया हुआ है। उपरोक्त आराजीयात गत खसरा संख्या 321 मिन राजस्व अभिलेख में अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज अभिलेख में है, जिसे अवैधानिक रूप से राजकीय सिवायचक दर्ज किया गया है। अवैधानिक रूप से राजनैतिक देषतावश प्रार्थी को उसकी खातेदारी की आराजीयात से दुरूपयोग कर वादग्रस्त आराजीयात जो कि राजस्व अभिलेख में कृषि आराजीयात रही है, अवैधानिक रूप से राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के नाम आबादी दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, अतः उक्त बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वाद के विचाराधीन रहते अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित है, जिसे आक्षेपित आदेश से प्रस्तुती की दिनांक को ही निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम नहीं किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड़ में अपीलांट को उनकी खातेदारी की आराजीयात पर किए गए निर्माण से बेदखल कर सुरक्षा हेतु निर्मित दीवार को ध्वस्त कर दिया जावेगा, जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 17/2023 उनवान अशोकपाल सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1394 रकबा 1.8400 है0 के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति को कायम रखे जाने एवं अपीलांट को उनकी खातेदारी की आराजीयात पर किए गए निर्माण व सुरक्षा हेतु निर्मित तारबंदी को नहीं तोड़े जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अपीलांट स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश पारित किये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका में यह कथन अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज भूमियॉ है जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, प्रकरण के सदंर्भ में प्रार्थी द्वारा वांचित एकतरफा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके पश्चात प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 में केवल अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है, जो अन्तरिम आदेश है। अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ

81/2023/225

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2023/81
	श्री श्री

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस पूर्ण करवा कर चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई हैं तथा सीधे ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो राजस्व मंडल के द्वारा जगदीश बनाम भोपालाराम वृहद पीठ के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को ही करना है इसलिए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थी/अपीलांट से नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से प्राप्त कर, अप्रार्थीगण (पक्षकारों) की रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस से तामिल करवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थी/अपीलांट से नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से प्राप्त कर, पक्षकारों की रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस से तामिल करवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner